

धारा-107 दंडप्र0सं0

सत्र / 2017

महयशता सं0-

आदेश फलक

वाद संख्या-

180/017

रमेश मिश्रा

दावा

बनाम

रमेश मिश्रा

दावा

09/12/2017

न्यायालय-अनुगंडल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर।

आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अभिलेख उपस्थापित, अवलोकन
किया। उभय पक्ष लगातार
अनुपस्थित। इससे प्रतीत होता है
कि इस वाद में उभय पक्ष के बीच
कोई विवाद नहीं है। शांति भंग होने
की सूचना अप्राप्त।

अतः इस वाद को राष्ट्रीय
लोक अदालत के माध्यम से अग्रोत्तर
कार्रवाई समाप्त की जाती है।

18/12/17
सदस्य



18/12/17
सदस्य